

चराजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प.16(7) सा.प्र./4/86 पार्ट

जयपुर, दिनांक 23-9-14

आज्ञा

इस विभाग द्वारा निम्नांकित विश्राम-भवनों के लिए स्थायी अग्रिम राशि की स्वीकृति के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार स्थाई-अग्रिम राशि की स्वीकृति सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 212(A) एवं पार्ट-III के आईटम संख्या 16 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1.	प्रबंधक, राजस्थान हाउस नई दिल्ली	15,000.00	20.	प्रबंधक, विश्राम भवन, डूंगरपुर	5,000.00
2.	प्रबंधक, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	15,000.00	21.	प्रबंधक, विश्राम भवन, दौसा	5,000.00
3.	प्रबंधक, जोधपुर हाउस, नई दिल्ली	15,000.00	22.	प्रबंधक, विश्राम भवन, धौलपुर	5,000.00
4.	प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर	15,000.00	23.	प्रबंधक, विश्राम भवन, श्रीगंगानगर	5,000.00
5.	प्रबंधक, विश्राम भवन, अजमेर	10,000.00	24.	प्रबंधक, विश्राम भवन, हनुमानगढ़	5,000.00
6.	प्रबंधक, विश्राम भवन, भरतपुर	10,000.00	25.	प्रबंधक, विश्राम भवन, जैसलमेर	5,000.00
7.	प्रबंधक, विश्राम भवन, बीकानेर	10,000.00	26.	प्रबंधक, विश्राम भवन, जालोर	5,000.00
8.	प्रबंधक, विश्राम भवन, जोधपुर	10,000.00	27.	प्रबंधक, विश्राम भवन, झालावाड़	5,000.00
9.	प्रबंधक, विश्राम भवन, कोटा	10,000.00	28.	प्रबंधक, विश्राम भवन, झुंझुनु	5,000.00
10.	प्रबंधक, विश्राम भवन, उदयपुर	10,000.00	29.	प्रबंधक, विश्राम भवन, नागौर	5,000.00
11.	प्रबंधक, विश्राम भवन, माउण्ट आबू	10,000.00	30.	प्रबंधक, विश्राम भवन, पाली	5,000.00
12.	प्रबंधक, विश्राम भवन, अलवर	5,000.00	31.	प्रबंधक, विश्राम भवन, सवाईमाधोपुर	5,000.00
13.	प्रबंधक, विश्राम भवन, बांसवाड़ा	5,000.00	32.	प्रबंधक, विश्राम भवन, सिरौही	5,000.00
14.	प्रबंधक, विश्राम भवन, बारां	5,000.00	33.	प्रबंधक, विश्राम भवन, सीकर	5,000.00
15.	प्रबंधक, विश्राम भवन, बाड़मेर	5,000.00	34.	प्रबंधक, विश्राम भवन, टोंक	5,000.00
16.	प्रबंधक, विश्राम भवन, भीलवाड़ा	5,000.00	35.	प्रबंधक, विश्राम भवन, राजसमन्द	5,000.00
17.	प्रबंधक, विश्राम भवन, बूंदी	5,000.00	36.	प्रबंधक, विश्राम भवन, करौली	5,000.00
18.	प्रबंधक, विश्राम भवन, चित्तौड़गढ़	5,000.00	37.	प्रबंधक, विश्राम भवन, प्रतापगढ़	5,000.00
19.	प्रबंधक, विश्राम भवन, चूरु	5,000.00			

उपर्युक्त राशि में से संबंधित कार्यालय के लिए पूर्व में स्वीकृत स्थाई-अग्रिम की राशि को कम करते हुए अन्तर की राशि चालू वित्तीय वर्ष में निम्नांकित बजट-मद से आहरित की जाएगी :-

8672-स्थायी रोकड अग्रदाय
101- सिविल

समस्त प्रबंधक दिन-प्रतिदिन के व्ययों के लिए स्थाई-अग्रिम का आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में प्राप्तियों का व्यय हेतु उपयोग नहीं किया जाए तथा प्राप्तियों को नियमानुसार निर्धारित समय पर राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्राप्तियों का व्यय हेतु उपयोग करना पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियमानुसार पूर्ण राशि नकद में रखी जावे एवं आगामी वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जावे।

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय
4. भुगतान एवं लेखाधिकारी, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
वरिष्ठ लेखाधिकारी